16

संसदीय समितियां

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

टी. ओ. संख्या 91

मूल्य : 14.00 रु.

© 2014 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अधीन प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

आमुख

यह सारांश संसदीय प्रक्रिया सारांश माला का भाग है और इसमें स्थायी संसदीय समितियों के गठन, कृत्यों, कार्यकाल तथा शक्तियों आदि का वर्णन संक्षेप में किया गया है। यह लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों और प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों पर आधारित है। यह संदर्शिका तत्काल संदर्भ के प्रयोजन के लिए है।

इस सारांश में दी गई जानकारी सम्पूर्ण नहीं है। अत: पूर्ण जानकारी के लिए मूल पुस्तकों का ही अवलोकन करें और उन्हीं को विश्वसनीय मानें।

नई दिल्ली;
अप्रैल, 2014
वैशाख, 1936 (शक)

पी. श्रीधरन,
महासचिव।

संसदीय समितियां

आधुनिक युग में संसद को न केवल विभिन्न प्रकार का, बल्कि मात्रा में भी अत्यधिक कार्य करना पड़ता है। संसद के पास समय सीमित होता है। इसलिए संसद उन सभी विधायी तथा अन्य मामलों पर, जो उसके सामने आते हैं, गहराई के साथ विचार नहीं कर सकती। अत: इसका बहुत-सा काम इसकी समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं।

2. भारत में समिति प्रणाली की शुरुआत 1919 के संवैधानिक सुधारों के अंतर्गत हुई थी। केन्द्रीय विधान सभा के स्थायी आदेशों में विधेयकों संबंधी याचिका समिति, स्थायी आदेशों में संशोधनों संबंधी प्रवर समिति और विधेयकों संबंधी प्रवर समिति के लिए उपबंध किया गया था। इनमें लोक लेखा समिति और किसी विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के लिए भी प्रावधान किया गया था। केन्द्रीय विधान सभा की इन समितियों के अतिरिक्त केन्द्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य भारत सरकार के विभिन्न विभागों से संबद्ध स्थायी मंत्रणा समितियों में भी कार्य करते थे। ये सभी समितियां पूर्णत: परामर्शदात्री स्वरूप की थीं और सरकार के नियंत्रण में कार्य किया करती थीं; और संबंधित विभाग का मंत्री समिति का सभापति होता था।

1

3. संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से है, जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित की जाती है और अध्यक्ष के निदेशानुसार कार्य करती है तथा अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है और समिति का सचिवालय लोक सभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

4. संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं: स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां।

गठन

5. कुछ संसदीय समितियां यथा विधेयक संबंधी प्रवर/संयुक्त समिति उदाहरणार्थ संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी प्रवर समिति, संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी संयुक्त समिति; प्रसारण विधेयक, 1997 संबंधी संयुक्त समिति; आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1998 संबंधी संयुक्त समिति; लोक सभा सदस्यों के कदाचार की जांच संबंधी समिति (2007) और पंचवर्षीय योजनाओं संबंधी समिति और संसद सदस्यों के लिए सुविधाओं और कार्यों का सुझाव संबंधी संयुक्त समिति (1993) जैसी समितियां किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए यथावश्यक तदर्थ आधार पर समय-समय पर यथास्थिति सभा अथवा अध्यक्ष अथवा दोनों सभाओं के पीठासीन अधिकारियों द्वारा परस्पर परामर्श से नियुक्त की जाती हैं।

2

विशेष मुद्दों संबंधी संयुक्त संसदीय समितियों का गठन जनमानस को अत्यधिक उद्विग्न वाले गंभीर मुद्दों और व्यापक स्तर पर जालसाजी और भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों की जांच करने के लिए किया जाता है। इन समितियों का गठन सरकार और प्रतिपक्ष के बीच सहमति के आधार पर किया जाता है। संयुक्त संसदीय समिति संसद का सुविदित और प्रभावशाली जांच तंत्र है। संसद को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद इन समितियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस श्रेणी में अब तक निम्नलिखित संयुक्त संसदीय समितियों का गठन हुआ है: (एक) बोफोर्स संविदा की जांच संबंधी संयुक्त समिति (1987); (दो) प्रतिभूति और बैंक लेन-देन में अनियमितताओं की जांच संबंधी संयुक्त समिति (1992); (तीन) स्टॉक मार्केट घोटालों और संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त समिति (2001); (चार) शीतल पेय, फलों के रस और अन्य पेय पदार्थों में कीटनाशी अवशिष्ट और इनके लिए सुरक्षा मानक (2003); (पांच) दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम आवंटन और मूल्य निर्धारण संबंधी मामलों की जांच संबंधी संयुक्त समिति (2011)।

इसके अतिरिक्त, आवश्यकता के आवधिक आकलन के आधार पर पिछले कुछ वर्षों से प्रयोजन विशेष के लिए तदर्थ आधार पर पीठासीन अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित समितियों की नियुक्ति भी की जा रही है:— संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन

3

संबंधी समिति; राष्ट्रीय नेताओं और संसदविदों के चित्र/प्रतिमाएं लगाने संबंधी संयुक्त समिति; विरासत के अनुरक्षण और संसद भवन परिसर के विकास संबंधी संयुक्त समिति; लोक सभा सदस्यों को कम्प्यूटर प्रदान करने संबंधी संयुक्त समिति; आचार समिति; संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास संबंधी समिति (लोक सभा) और सरकारी अधिकारियों द्वारा नवाचार मानकों का उल्लंघन तथा लोक सभा सदस्यों के साथ अपमानजनक व्यवहार संबंधी समिति, लोक सभा की सभा विशिष्ट तदर्थ समितियां हैं।

प्रस्तावों के माध्यम से सभा द्वारा गठित इन समितियों का गठन, संरचना और कार्य इत्यादि को प्रस्तावों में निर्धारित किया जाता है और पीठासीन अधिकारियों द्वारा गठित समितियों के मामले में विचारार्थ विषयों का विनिश्चयन अध्यक्ष, लोक सभा और सभापति, राज्य सभा द्वारा परस्पर परामर्श से संसदीय समितियों से संबंधित यथावश्यक संगत नियमों और निदेशों के अनुसार किया जाता है।

6. लोक सभा की निम्नलिखित स्थायी समितियां हैं, जिनकी सदस्य संख्या उनके सामने दर्शायी गई हैं। इनमें से कुछ समितियां संयुक्त समितियां हैं क्योंकि इनमें नियमों/अधिनियम के संगत प्रावधानों के अंतर्गत संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों को नामनिर्दिष्ट/निर्वाचित किया जाता है। ये समितियां हैं:— लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, अनुसूचित जातियों

तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति, संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति, महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति तथा ग्रन्थालय समिति।

समिति का नाम	सदस्य संख्या
1. कार्य मंत्रणा समिति	15
2. विशेषाधिकार समिति	15
3. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	15
4. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति@	30
5. प्राक्कलन समिति*	30
6. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	15
7. सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति	15
8. याचिका समिति	15
9. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	15

@ देखिये सारांश सं. 21

* देखिये सारांश सं. 18

समिति का नाम	सदस्य संख्या
10. लोक लेखा समिति**	22
11. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति***	22
12. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	15
13. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति****	30
14. सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	निर्धारित नहीं(ञ)
15. आवास समिति	12
16. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	15
17. संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति	15
18. ग्रन्थालय समिति	9
19. नियम समिति	15

** देखिये सारांश सं. 17
*** देखिये सारांश सं. 19
**** देखिये सारांश सं. 20
(ञ) इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति तालिका, स्थायी समितियों के सभापति, दलों के नेता और अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित अन्य सदस्य शामिल हैं।

उपर्युक्त स्थायी समितियों के अतिरिक्त, विभागों से संबद्ध निम्नलिखित स्थायी समितियां हैं जिनके कार्य क्षेत्र में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग आते हैं:—

समिति का नाम	सदस्य संख्या
1. कृषि संबंधी समिति	31@
2. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति	31@
3. रक्षा संबंधी समिति	31@
4. ऊर्जा संबंधी समिति	31@
5. विदेशी मामलों संबंधी समिति	31@
6. वित्त संबंधी समिति	31@
7. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति	31@
8. श्रम संबंधी समिति	31@
9. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति	31@
10. रेल संबंधी समिति	31@
11. शहरी विकास संबंधी समिति	31@
12. जल संसाधन संबंधी समिति	31@
13. रसायन और उर्वरक संबंधी समिति	31@
14. ग्रामीण विकास संबंधी समिति	31@

@इसमें राज्य सभा के 10 सदस्य शामिल हैं।

	समिति का नाम	सदस्य संख्या
15.	कोयला और इस्पात संबंधी समिति	31@
16.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति	31@
17.	वाणिज्य संबंधी समिति	31@
18.	गृह कार्य संबंधी समिति	31@
19.	मानव संसाधन विकास संबंधी समिति	31@
20.	उद्योग संबंधी समिति	31@
21.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति	31@
22.	परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति	31@
23.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति	31@
24.	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति	31@

क्रमांक 1 से 16 में दी गई समितियां लोक सभा के अध्यक्ष के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं तथा इन समितियों के लिए सचिवालय सेवाएं लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रदान की जाती हैं। इन सोलह समितियों के सभापति लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। शेष आठ समितियां राज्य सभा के सभापति के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। इन समितियों के सभापति राज्य सभा के सभापति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

@ इसमें राज्य सभा के 10 सदस्य शामिल हैं।

8

7. कोई भी सदस्य समिति में तब तक नियुक्त या नाम-निर्देशित या निर्वाचित नहीं किया जाता जब तक कि वह उस समिति में सेवा करने के लिए सहमत न हो।

8. लोक सभा का अध्यक्ष कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति, सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति, याचिका समिति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति, आवास समिति, नियम समिति के लिए इन समितियों से संबंधित नियमों के प्रावधानों के अनुसार सदस्य नाम-निर्देशित करता है।

9. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति में लोक सभा के 20 सदस्यों और राज्य सभा के 10 सदस्यों को क्रमशः लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति द्वारा नाम-निर्देशित किया जाता है।

10. विभागों से संबद्ध चौबीस स्थायी समितियों में लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा लोक सभा से इक्कीस सदस्य और राज्य सभा के सभापति द्वारा राज्य सभा से दस सदस्य नाम-निर्देशित किये जाते हैं।

11. संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति के लिए लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा लोक सभा से दस सदस्य

और राज्य सभा के सभापति द्वारा राज्य सभा से पांच सदस्य, संसद सदस्यों के वेतन, भत्तों और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 9 (1) के अनुसरण में नाम-निर्देशित किये जाते हैं।

12. जहां तक संभव हो, समिति में विभिन्न दलों और ग्रुपों को, सभा में उनकी सदस्य संख्या के अनुपात में, प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इस दृष्टि से समिति सम्पूर्ण सभा का लघु रूप होती है।

13. (i) प्राक्कलन, (ii) लोक लेखा, (iii) सरकारी उपक्रमों और (iv) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समितियों के मामले में लोक सभा के सदस्य, सभा में प्रस्तुत और स्वीकृत तत्संबंधी प्रस्तावों के अनुसरण में सभा द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं।

14. लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अन्य पिछड़ी जातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ राज्य सभा के सदस्य भी सम्बद्ध किये जाते हैं, जिसके लिए अपेक्षित प्रस्ताव दोनों सभाओं में प्रस्तुत और स्वीकृत किये जाते हैं। लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति में 15 सदस्य होते हैं जिनमें से 10 सदस्य लोक सभा से निर्वाचित होते हैं और 5 सदस्य राज्य सभा से निर्वाचित होते हैं। इसका गठन दोनों सभाओं में प्रस्तुत और स्वीकृत तत्संबंधी प्रस्तावों के अनुसरण में किया जाता है। इस समिति का कार्यकाल लोक सभा के कार्यकाल तक जारी रहता है।

15. ग्रंथालय समिति में 9 सदस्य होते हैं, जिनमें से 6 सदस्य लोक सभा के होते हैं, जो लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित किये जाते हैं और 3 सदस्य राज्य सभा के होते हैं, जो राज्य सभा के सभापति द्वारा नाम-निर्देशित किये जाते हैं।

16. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, याचिका समिति और विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों में से किसी भी समिति में कोई भी मंत्री समिति के सदस्य के रूप में नाम-निर्देशित/निर्वाचित नहीं किया जाता। यदि इन समितियों में से किसी समिति में सदस्य के रूप में नाम-निर्देशित/निर्वाचित होने के पश्चात् कोई सदस्य मंत्री पद पर नियुक्त हो जाता है, तो ऐसा सदस्य अपनी ऐसी नियुक्ति की तारीख से उस समिति का सदस्य नहीं रहता।

17. संसदीय समितियों में आकस्मिक रूप से रिक्त होने वाले स्थानों की पूर्ति, यथास्थिति, इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर सभा द्वारा नियुक्त करके या निर्वाचन द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित करके की जाती है और ऐसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए नियुक्त, निर्वाचित या नाम-निर्देशित हुआ कोई सदस्य उस कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पद धारण करता

है, जिसके लिए पूर्ववर्ती सदस्य, जिसके स्थान पर सदस्य अस्थाई रिक्त स्थान भरने के लिए नियुक्त, निर्वाचित या नाम-निर्देशित हुआ है, सामान्यतया पद धारण किये रहता है।

18. कोई सदस्य, अध्यक्ष को सम्बोधित करके अपने स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त पत्र द्वारा समिति से पद-त्याग कर सकता है।

19. यदि कोई सदस्य समिति के सभापति की अनुज्ञा के बिना समिति की लगातार दो या अधिक बैठकों से अनुपस्थित रहता/रहती है, तो ऐसे सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष द्वारा समिति से हटाया जा सकता है।

सभापति की नियुक्ति

20. सभी संसदीय समितियों के सभापति जिन्हें लोक सभा सचिवालय द्वारा सेवा प्रदान की जाती है अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किये जाते हैं। यदि अध्यक्ष किसी समिति का सदस्य हो तो वह उस समिति का पदेन सभापति होता है। यदि अध्यक्ष समिति का सदस्य न हो किन्तु उपाध्यक्ष सदस्य हो तो, उपाध्यक्ष को समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

21. संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति अपनी पहली बैठक में अपना सभापति स्वयं निर्वाचित करती है।

22. लोक लेखा समिति के मामले में, सुस्थापित परम्परा के अनुसार, बड़े विपक्षी दलों/ग्रुपों के किसी सदस्य को, चक्रानुक्रम से, समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

कार्यकाल

23. संसदीय समितियां एक वर्ष की अवधि के लिए जैसा कि नियमों में निर्दिष्ट है या अध्यक्ष द्वारा/प्रस्ताव द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या जब तक कोई नई समिति नाम-निर्देशित नहीं की जाती तब तक पद धारण करती हैं।

24. संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति के लिए नाम-निर्देशित सदस्य अपने नाम-निर्देशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं।

गणपूर्ति

25. समिति की बैठक के आयोजनार्थ गणपूर्ति के लिए समिति के सदस्यों की समस्त संख्या के एक-तिहाई सदस्य बैठक में उपस्थित होने चाहिएं। अपेक्षित गणपूर्ति न होने पर सभापति या तो उस बैठक को गणपूर्ति होने तक के लिए निलम्बित करता है या उस बैठक को किसी आगामी दिन के लिए स्थगित कर देता है। गणपूर्ति न होने के कारण समिति की लगातार दो बैठकें स्थगित हो जाने की स्थिति में सभापति को इस तथ्य की सूचना अध्यक्ष को देनी होती है, यदि वह समिति अध्यक्ष द्वारा नियुक्त की गई हो; अन्यथा उक्त सूचना सभा को देनी होती है।

सामान्य

26. समिति की बैठकें उस दिन और उस समय होती हैं, जो उस समिति का सभापति नियत करे। यदि सभापति तत्काल

उपलब्ध न हो तो महासचिव बैठक की तिथि और समय निश्चित कर सकता है; और किसी विधेयक संबंधी प्रवर या संयुक्त समिति के मामले में वह इस हेतु संबंधित मंत्री से परामर्श कर सकता है।

27. संसदीय समितियों की बैठकें गोपनीय ढंग से होती हैं। समिति के किसी सदस्य या ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी पहुंच समिति की कार्यवाहियों तक हो, समिति की कार्यवाहियों आदि के बारे में समाचार पत्रों को प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: कोई जानकारी तब तक देने की अनुमति नहीं है, जब तक कि समिति का प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता।

28. समिति की किसी बैठक में विचाराधीन सभी मामले उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णीत किये जाने चाहिए। किसी विषय पर मतों की संख्या समान होने पर सभापति या सभापति के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को दूसरा या निर्णायक मत डालने का अधिकार होगा।

29. समिति का प्रतिवेदन सभा में सभापति द्वारा या सभापति की अनुपस्थिति में समिति के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

30. संसदीय समितियां, उप-समितियां नियुक्त कर सकती हैं, साक्ष्य ले सकती हैं या दस्तावेज मंगा सकती हैं, व्यक्तियों को बुला सकती हैं, कागजात तथा अभिलेख मंगा सकती हैं और सभा को विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। वे प्रक्रिया के बारे में

सुझाव दे सकती हैं। वे अपने आन्तरिक कार्यकरण के संबंध में विस्तृत नियम बना सकती हैं।

31. समिति के सदस्यों को बोलने की आजादी, गिरफ्तारी आदि के संबंध में वही अधिकार तथा शक्तियां प्राप्त हैं, जो सभा के सदस्यों को प्राप्त हैं।

32. जहां समिति के किसी सदस्य का किसी ऐसे विषय में, जिस पर समिति द्वारा विचार किया जाना होता है, वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हित निहित हो, तो ऐसे सदस्य को उस समिति के सभापति के माध्यम से अध्यक्ष को उस विषय में अपने स्वयं के हित की सूचना देनी अपेक्षित है।

33. संसदीय समितियां लोक सभा के विघटन पर समाप्त हो जाती हैं।

कृत्य

34. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अतिरिक्त स्थायी समितियों के कृत्य का विवरण संक्षेप में नीचे दिया गया है:—

कार्य मंत्रणा समिति

यह सिफारिश करना कि सरकार के उन विधायी तथा अन्य कार्यों पर, जिसे अध्यक्ष, सभा के नेता के परामर्श से समिति को

सौंपने का निर्देश दे, चर्चा करने के लिए कितना समय नियत किया जाये। समिति स्वयं भी सरकार से सिफारिश कर सकती है कि वह विषय विशेष सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत करे और ऐसी चर्चाओं के लिए समय नियत करने की सिफारिश कर सकती है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के लिए समय नियत करना, संविधान में संशोधन करने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की लोक सभा में उनको पेश किये जाने से पहले जांच करना और गैर-सरकारी सदस्यों के ऐसे विधेयकों की, जिनमें सभा की विधायी क्षमता को चुनौती दी गई हो, भी जांच करना।

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति

मंत्रियों द्वारा सभा पटल पर रखे गये पत्रों (उन पत्रों को छोड़कर जो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति अथवा किसी अन्य संसदीय समिति के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत आते हों) की जांच करना और सभा को यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करना कि (क) क्या संविधान, अधिनियम, नियम अथवा विनियम के उन उपबंधों का पालन हुआ है, जिनके अधीन वह पत्र सभा पटल पर रखा गया है; (ख) क्या पत्र को सभा पटल पर रखने में कोई अनुचित विलम्ब

हुआ है; (ग) यदि ऐसा विलम्ब हुआ है तो क्या उक्त विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करने वाला विवरण भी सभा पटल पर रखा गया है तथा क्या वे कारण संतोषजनक हैं; (घ) क्या उस पत्र के हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों संस्करण सभा पटल पर रखे गये हैं; (ङ) क्या हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है, तथा क्या वे कारण संतोषजनक हैं; और (च) सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी ऐसे अन्य कार्य भी करना, जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर इस समिति को सौंपे जायेंगे।

याचिका समिति

सभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं आदि के उन अभ्यावेदनों, जो याचिका संबंधी नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं, पर भी विचार करना और उन्हें निपटाने के लिए निदेश देना।

विशेषाधिकार समिति

सभा अथवा उसके किसी सदस्य अथवा किसी समिति के सदस्य के विशेषाधिकार के भंग किए जाने से संबंधित प्रत्येक प्रश्न की जांच करना, जो उसे सभा अथवा अध्यक्ष द्वारा सौंपा जाये। प्रत्येक मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस बात का

निश्चय करना कि क्या विशेषाधिकार को भंग किया गया है और अपने प्रतिवेदन में इस संबंध में उपयुक्त सिफारिश करना।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

इस बात की जांच करना और सभा को प्रतिवेदन देना कि क्या विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अथवा संसद द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग कार्यपालिका द्वारा उस प्रत्यायोजन के अंतर्गत समुचित रूप से किया जा रहा है।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

मंत्रियों द्वारा समय-समय पर दिये गये आश्वासनों, वचनों और किए गए प्रतिज्ञानों आदि की जांच करना और उनके बारे में प्रतिवेदन देना कि इस प्रकार के आश्वासन आदि कहां तक क्रियान्वित किये गये हैं और यह भी देखना कि क्या उन्हें इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित कम से कम समय में क्रियान्वित किया गया है।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्राप्त करने के लिए सदस्यों के सभी प्रार्थना-पत्रों पर विचार करना और ऐसे प्रत्येक मामले की जांच करना, जिसमें कोई सदस्य 60 दिन या इससे अधिक समय तक बिना अनुमति के सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहा हो।

नियम समिति

सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के मामलों पर विचार करना और लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों में आवश्यक समझे जाने वाले संशोधनों अथवा परिवर्धनों की सिफारिश करना।

सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति

अध्यक्ष को सभा के कार्यों से संबंधित उन मामलों के बारे में सलाह देना, जो उसे अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जाते हैं।

आवास समिति

लोक सभा के सदस्यों के आवास से संबंधित सभी प्रश्नों पर विचार करना तथा दिल्ली में सदस्यों के निवास स्थानों तथा होस्टलों में उपलब्ध कराई गई आवास, खाद्य, चिकित्सा सहायता आदि संबंधी सुविधाओं तथा अन्य सुख-सुविधाओं की देख-रेख करना।

ग्रंथालय समिति

ग्रंथालय के संबंध में ऐसे मामलों पर विचार करना और अपनी सलाह देना, जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर इसे सौंपे जायें; ग्रंथालय में सुधार करने के सुझावों पर भी विचार करना और ग्रंथालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं का पूर्ण उपयोग करने के मामले में दोनों सदनों के सदस्यों की सहायता करना।

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संबंधी संयुक्त समिति

केन्द्रीय सरकार के परामर्श से दोनों सदनों के सदस्यों को यात्रा और दैनिक भत्ते, चिकित्सा, आवास, टेलीफोन, डाक, पानी, बिजली, निर्वाचन क्षेत्र संबंधी तथा सचिवालयीय सुविधाएं आदि देने के बारे में नियम बनाना।

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त समितियों के गठन और स्वरूप की जांच करना और यह सिफारिश करना कि कोई व्यक्ति किसी एक सभा का सदस्य चुने जाने तथा उसका सदस्य बने रहने के लिए संविधान के अनुच्छेद 102 के अंतर्गत किन पदों को धारण करने से ''अनर्ह'' होना चाहिए और किन पदों को धारण करने से ''अनर्ह'' नहीं होना चाहिए।

संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची की भी समय-समय पर जांच करना और उक्त अनुसूची में कोई परिवर्धन अथवा लोप करके या अन्यथा किन्हीं संशोधनों की सिफारिश करना।

विभागों से सम्बद्ध चौबीस स्थायी समितियां

प्रत्येक स्थायी समिति के कृत्य इस प्रकार होंगे:—

(क) संबंधित मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार करना; (ख) संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित ऐसे

विधेयकों की जांच करना जो, यथास्थिति, राज्य सभा के सभापति अथवा अध्यक्ष द्वारा, सौंपे गए हों; (ग) मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना; और (घ) दोनों सदनों में प्रस्तुत राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घावधि नीति संबंधी दस्तावेजों यथास्थिति, जो राज्य सभा के सभापति या अध्यक्ष, द्वारा समिति को सौंपे गए हों, पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

[संविधान का अनुच्छेद 102 और संसदीय समितियों संबंधी नियम और प्रक्रियायें लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 253 से 331 ढ और अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 48 से 108 द्वारा निर्धारित हैं।]